कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)

सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर।

दूरभाष : 0551–2580010, ईमेल–आईडी : ceogida-up@up.gov.in/ceogida@rediffmail.com

पत्रांक : /सम्पत्ति–नौ/कार्या0 ज्ञाप/2022–23, दिनांक 28 जून, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

गीडा प्राधिकारी की दिनांक 11.06.2022 को सम्पन्न 57वीं बैठक में गीडा की समस्त योजनाओं में ऐसे सभी प्रकरणों जिसमें गीडा द्वारा आवंटित भूखण्ड का कतिपय कारणों से कब्जा उपलब्ध न करा पाने को संज्ञान में लेते हुए विकल्प उपलब्ध कराने के निर्णय के अनुमोदन के कम में निम्नवत आदेशित किया जाता है :–

गीडा की समस्त योजनाओं में यदि कतिपय कारणों से गीडा द्वारा भूखण्ड का कब्जा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, तो उक्त दशा में आवंटियों को 03 माह की समयावधि में निम्नवत विकल्प चुनने का अवसर प्रदान कराया जाएगा :–

"गीडा की समस्त योजनाओं में कब्जा बाधित भूखण्डों के प्रकरणों में प्रस्तावित नीति के अनुसार आवंटी को 4 प्रतिशत की दर से देय ब्याज के साथ सम्पूर्ण जमा धनराशि (चाहे वह किसी भी मद में जमा की गयी हो) को वापस किये जाने के विकल्प उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि उक्त नीति के लागू होने की तिथि के पूर्व जिन प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है (यथा आवंटियों के पक्ष में कब्जा हस्तगत करा दिया गया है, जिन आवंटियों द्वारा धनराशि वापस ले ली गयी है इत्यादि) उन्हें इसका लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

बल्क लैण्ड पालिसी के अन्तर्गत आवंटित कब्जा बाधित भूखण्डों के आवंटियों पर उक्त नीति लागू नहीं होगी।"

उपरोक्त निर्णय के कम में गीडा की समस्त योजनाओं में जिनमें आवंटित भूखण्ड (आरक्षण धनराशि का भुगतान किया जा चुका है) का कब्जा किन्हीं कारणवश गीडा द्वारा हस्तगत नहीं किया जा सका है, उक्त आवंटियों को इस आदेश निर्गत होने की तिथि से 03 माह के अन्दर निम्नलिखित दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया जाता है :–

विकल्प सं0–1

यदि आवंटी भूखण्ड के आवंटन को नियमानुसार यथावत रखने के इच्छुक है, तो उनको गीडा की नीतियों के अनुसार लाभ प्रदान करते हुए भूखण्ड का कब्जा दिये जाने के दिनांक तक गीडा के नियमानुसार देय समस्त देयों का भुगतान किया जाना होगा।

अथवा

विकल्प सं0–2

आवंटी द्वारा इस शर्त के साथ भूखण्ड गीडा को समर्पित किया जा सकेगा कि आवंटी द्वारा गीडा में जमा करायी गयी पूर्ण धनराशि, चाहें वह किसी भी मद में जमा की गयी हो, प्रश्नगत धनराशि के जमा करने की तिथि से भूखण्ड समर्पण का पत्र गीडा कार्यालय में प्राप्त होने की दिनांक तक जमा धनराशि पर 04 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित

विलम्बतम एक माह के अन्दर वापिस कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में भूखण्ड समर्पण तथा उपरोक्त शर्त पर सहमति हेतु आवंटी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

यदि निर्धारित समयावधि (इस पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 माह) में आवंटी द्वारा उपरोक्त वर्णित विकल्पों में से अपनी ईच्छा अनुसार कोई विकल्प का चयन/उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो विकल्प सं0–1 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि कब्जा वाधित भूखण्डों के जो प्रकरण इस कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने से पूर्व निस्तारित किये जा चुके है एवं बल्क लैण्ड पालिसी के अन्तर्गत आवंटित कब्जा बाधित भूखण्डों के आवंटियों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : 1448 /उपरोक्त/दिनांकित।

प्रतिलिपि–

1. निजि सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग, लखनऊ को महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को सूचनार्थ।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर को सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त उद्यमियों के मध्य इसका प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त उद्यमियों के मध्य इसका प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
6. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर।
7. महा प्रबन्धक (वित्त), गीडा, गोरखपुर।
8. सहायक महा प्रबन्धक (सम्पत्ति), गीडा, गोरखपुर।
9. समस्त अनुभाग प्रभारी, गीडा, गोरखपुर।
10. समस्त सहायक/कनिष्ठ सहायक/पटल प्रभारी, सम्पत्ति अनुभाग, गीडा, गोरखपुर।
11. प्रभारी (कम्प्यूटर), गीडा, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि इस कार्यालय ज्ञाप को तत्काल गीडा की वेबसाईट पर अपलोड करायें।
12. सूचना पटल/गार्ड फाईल।

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी